वीकली इकॉनॉमी | आर. जगन्नाथन
review
rjagannathan@dbcorp.in

इस बार रेपो रेट कम न करना गलत फैसला

पिछले हफ्ते रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति की समीक्षा में कुछ ऐसा किया जो उसे नहीं करना था। सभी डेटा जो रेट कट का संकेत दे रहे थे, आरबीआई ने उन्हें अनदेखा कर ब्याज दरों में कटौती नहीं की। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमणियन ने इस पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा, 'आरबीआई ने महंगाई बढ़ने का जोखिम बताकर रेट्स को यथावत रखा। जबकि खुदरा महंगाई दर, आर्थिक सुस्ती, मजबूत रुपया, अच्छा मानसून दरों में कमी का संकेत दे कर रहे थे।' सुब्रमणियन ने इशारा किया कि आरबीआई बार-बार महंगाई दर के लक्ष्य गलत तय करता रहा है। उन्होंने कहा, 'महंगाई दर के पूर्वानुमान में गलतियां बड़ी हैं। इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। लेकिन अर्थव्यवस्था में कभी-कभी आर्थिक हालात और आउटलुक ऐसे हो जाते हैं जिसमें मौद्रिक नीति को उदार बनाने की जरूरत होती है।' वैसे वित्त मंत्रालय और आरबीआई के बीच मतभेद नई बात नहीं है। पहले भी कई वित्त मंत्री आरबीआई के व्यवहार से नाराज हो चुके हैं। उन्होंने जब भी दरों में कमी की उम्मीद की, तो आरबीआई नहीं मानी। लेकिन इस बार आरबीआई गलत है।

समस्या यह है कि आरबीआई खुद को सरकार से स्वतंत्र साबित करने की कोशिश कर रहा है। केंद्रीय बैंक ने फरवरी कहा था कि आगे रेट कट की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद से वह मौद्रिक नीति के 'एकोमोडेटिव" रुख को जल्दबाजी में बदलकर 'न्यूट्रल' कर रहा है। 'न्यूट्रल' नीति का मतलब है कि अर्थव्यवस्था को न तो रेट कट, न ही रेट हाइक की जरूरत है और तंत्र में पर्याप्त नकदी है।

लेकिन हकीकत अलग है नोटबंदी के बाद महंगाई दर घटी है। अप्रैल में 2.99% दर्ज हुई है। थोक महंगाई दर भी 4% से कम 3.85% रही है। 2016-17 की चौथी तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट भी घटकर 6.1% रही है। मई-जून में भी खुदरा महंगाई दर के उचित स्तर पर रहने की संभावना है। अच्छा मानसून खाद्य पदार्थों की कीमतों को नियंत्रण में रखेगा। मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र में हम बड़े किसान आंदोलन देख रहे हैं। बम्पर फसल से कृषि उपज की कीमतें काफी घटी हैं। इससे गरीब किसान नुकसान में हैं। ऐसे में जब महंगाई दर कम रहने की संभावना है, आरबीआई का दरों को स्थाई बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है। खासकर जब कंपनी जगत कर्ज के भारी बोझ दबा हो। सरकारी बैंकों के फंसे कर्ज बीते वित्त वर्ष में अप्रैल-दिसंबर के बीच एक लाख करोड़ बढ़कर 6.6 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। 0.50% की कटौती से भी बैंकों को 75,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त उपलब्ध होते। इससे बैंकों को एनपीए बट्टे खाते में डालने और बैलेंस शीट मजबूत करने का मौका मिलता। बैंकों के पास तब नकदी बढ़ती है जब रेट कट हो और सरकारी बॉन्ड्स में बैंकों की मौजूदा होल्डिंग का मूल्य बढ़े। हम आर्थिक गतिविधियों में तेजी तभी देखेंगे जब बैंकों में सरकार और पूंजी डाले क्योंकि ग्रोथ के लिए कर्ज वितरण और निजी निवेश में तेजी आना जरूरी है।

अक्टूबर 2012 में तत्कालीन गवर्नर डी सुब्बाराव के नेतृत्व में आरबीआई ने रेट कट से इनकार कर दिया। उस समय महंगाई दर और राजकोषीय घाटा भी अधिक था। तबके वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कहा था कि आर्थिक विकास भी एक चुनौती है। जरूरत पड़ी तो वे "अकेले चलेंगे'। लेकिन आज वित्त मंत्री के पास गवर्नर से उम्मीद के वाजिब कारण हैं कि वे रेट कट कर ग्रोथ में सहयोगी बनें। यह ऐसी लड़ाई है जिसमें आरबीआई और सरकार दोनों को मिलकर गति देने की जरूरत है। दुर्भाग्य से, रिजर्व बैंक ने रेट कट न करने का गलत फैसला, गलत समय पर, गलत कारणों से लिया है। उसे जल्द अपना रुख बदलना चाहिए। अन्यथा शॉर्ट टर्म में ग्रोथ की रफ्तार घटने के लिए वह अकेले जिम्मेदार होगा।

- लेखक आर्थिक मामलों के वरिष्ठ पत्रकार, 'डीएनए' के एडिटर रह चुके हैं।

ऑनलाइन | शिकायत, सुझाव और गाइडेंस के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने शुरू की नई व्यवस्था

जॉब वर्क पर जीएसटी रेट कम होने से कपड़े दो रुपए मीटर तक ही महंगे होंगे

इंडस्ट्री ने 5% टैक्स का किया स्वागत, रेट 18% होने पर 10 रु. तक महंगा हो सकता था कपड़ा

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने जॉब वर्क पर 18% की जगह 5% टैक्स लगाने का स्वागत किया है। इंडस्ट्री का कहना है कि पहले वीविंग, प्रोसेसिंग और डबलिंग में हर स्टेज पर 18% जीएसटी लगाने का फैसला हुआ था। इससे कपड़ा प्रति मीटर 10 रुपए महंगा होने की आशंका थी। लेकिन 5% जीएसटी से रेट एक से दो रुपए ही बढ़ेंगे। रविवार की बैठक में जीएसटी काउंसिल ने डायमंड प्रोसेसिंग, लेदर और प्रिंटिंग में भी जॉब वर्क पर 18% की जगह 5% टैक्स लगाने का फैसला किया।

बैठक के फैसलों की जनकारी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दी। आगे और रेट संशोधित होंगे, यह पूछे जाने पर उन्होंने कहा औसतन सभी वस्तुओं पर टैक्स कम ही हैं। किसी ने मांग की, इसका मतलब यह नहीं कि उसे मान लेंगे। इस बीच एमएसएमई मंत्रालय ने कहा है कि छोटे कारोबारी जीएसटी से जुड़ी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। मंत्रालय ने विशेष मॉनिटरिंग व्यवस्था की है। यहां उद्यमी सुझाव देने के साथ गाइडेंस भी ले सकते हैं।

भास्कर आपका GST नॉलेज सोर्स

हाइब्रिड कारों पर इंडस्ट्री की डिमांड मानने लायक नहीं: जेटली

जून अंत तक फाइनल होंगे सभी फॉर्म, इसलिए जीएसटी एक माह टालें | पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने फिर कहा कि 'जुगाड़' की तरह जीएसटी लागू करने से अच्छा है कि इसे एक महीने के लिए टाल दिया जाए। उन्होंने कहा, प. बंगाल हमेशा जीएसटी जल्दी लागू करने के पक्ष में रहा है, लेकिन यह आम लोगों और ट्रेडरों के लिए फायदेमंद होना चाहिए। उन्होंने कहा, छोटे कारोबारियों को एक स्प्रेडशीट भरनी पड़ेगी। उसके बाद उसे अपलोड करना होगा। लेकिन इसके फॉर्मेट इस महीने के अंत तक ही आने की उम्मीद है। इसलिए 1 जुलाई से लागू करना बेहद मुश्किल है। उन्होंने बताया कि 18 जून की बैठक में तैयारियों का आकलन किया जाएगा।

हाइब्रिड कारों पर टैक्स घटने की उम्मीद कम | जेटली ने कहा कि हाइब्रिड कारों को लेकर इंडस्ट्री की डिमांड ठीक नहीं है। टैक्स अफसरों ने उनकी डिमांड की स्टडी की, लेकिन वह मानने लायक नहीं लगी। गौरतलब है कि काउंसिल ने हाइब्रिड कारों पर 28% जीएसटी के साथ 15% सेस (कुल 43%) लगाने का फैसला किया है। इंडस्ट्री इसे 18% करने की मांग कर रही है। अभी इन पर 30.3% टैक्स लगता है। जेटली ने बताया कि डिमांड पर एक पेपर तैयार किया गया है। काउंसिल के मेंबर इस पर विचार करेंगे।

एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की डिमांड 3 महीने तक कम रहने के आसार

जीएसटी लागू होने से पहले डीलर और रिटेलर अपने पास कम से कम स्टॉक रखना चाहते हैं, इसलिए तीन महीने तक एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की डिमांड कम रह सकती है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के एमडी वरुण बेरी ने विशेष बातचीत में यह बात कही। उन्होंने कहा, कंपनियां चाहे जितना भरोसा दिलाएं, हमारे डीलर और रिटेलर ज्यादा स्टॉक नहीं करेंगे।

जीएसी में रजिस्ट्रेशन के ई-वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी का नया विकल्प

जीएसटी में कारोबारियों को अपने रजिस्ट्रेशन के ई-वेरिफिकेशन के लिए एक और विकल्प दिया है। वे मोबाइल नंबर पर ओटीपी का विकल्प चुन सकते हैं। अभी उनके पास बैंकिंग चैनल और इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड का विकल्प है। दरअसल कारोबारियों की शिकायत थी कि डिजिटल सिग्नेचर और आधार के जरिए एनरॉलमेंट में उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए ओटीपी की सुविधा दी गई है। रजिस्ट्रेशन के लिए पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल और राज्य का नाम जरूरी है। वेरिफिकेशन के बाद उन्हें मोबाइल नंबर और ईमेल पर अस्थायी रेफरेंस नंबर मिलेगा।

फंसे कर्ज की समीक्षा के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली आज मिलेंगे सरकारी बैंक प्रमुखों से

नई दिल्ली | वित्त मंत्री अरुण जेटली फंसे कर्ज (एनपीए) की समीक्षा के लिए सोमवार को सरकारी बैंकों के प्रमुखों से मिलेंगे। इसमें वह एनपीए और उसकी तेजी से वसूली के लिए बैंकों की ओर से उठाए गए कदमों पर चर्चा करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की फंसे कर्ज की राशि वित्त वर्ष 2016-17 में अप्रैल से दिसंबर के बीच एक लाख करोड़ से अधिक बढ़कर 6.06 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। मार्च 2015 तक यह महज 2.67 लाख करोड़ रुपए थी। लेकिन अगले एक साल में इसमें करीब दोगुना इजाफा हुआ। मार्च 2016 तक इसका आंकड़ा बढ़कर 5.02 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था। वित्त मंत्रालय की ओर से एक बयान में यह जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि पूरे दिन चलने वाली बैठक में जेटली सभी सरकारी बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा भी करेंगे। सरकार आगामी एक जुलाई से देशभर में जीएसटी लागू करने की तैयारी कर रही है। बैठक में इसे लेकर बैंकों की भूमिका और तैयारी पर भी चर्चा होने की संभावना है।

BAKERY PRODUCTS (Bakery Course)
Recipes for Baking Soft, Divine & Designer Cakes & Breads
राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान
DETAILS: Date: 14, 15 June '17 Time: 9:30am onwards Fee: 3500/- per Participant (Inclusive of Ingredients) Medium of Instructions: Hindi & English Requirement: 1 Color Passport size Photo
HIGHLIGHTS: •Cakes: Vanilla, Chocolate, Cup, Strawberry, Fruit Cakes •Breads: of Different Types n Varieties
ATTENDEES: Entrepreneurs, Food Joint Owners, Teachers, Students, House Wives, Professionals, Retired Persons, To Be Brides & Grooms, Women & Men having a Passion for Baking etc.
VENUE: ITFT College Corporate Office, SCO 1, Sector-17-D, Chandigarh
CONTACT: 9716137007, 9711118264, Email: training.brandvision@gmail.com
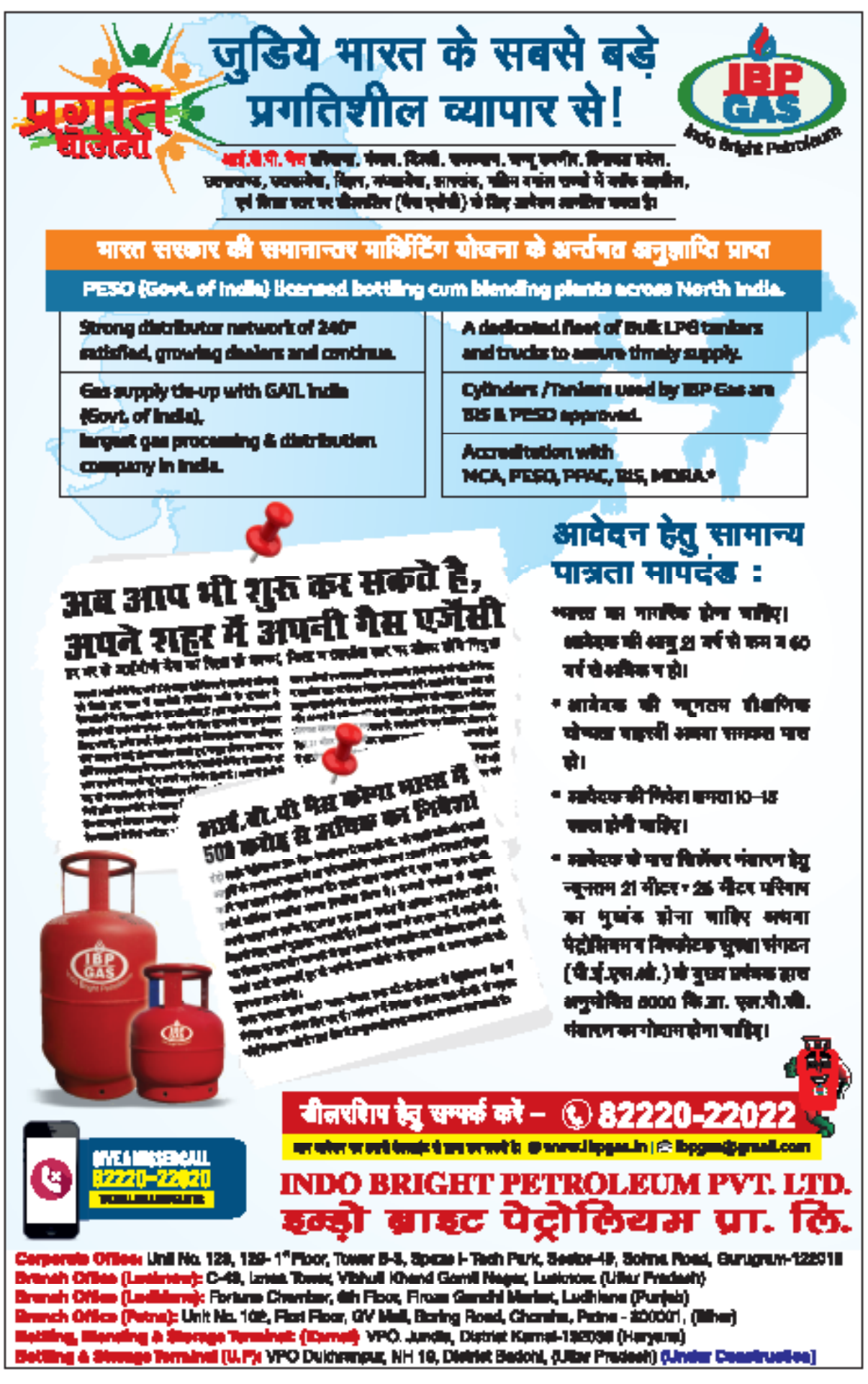
मेसर्स कम्पनी ला बोर्ड ट्रिब्यूनल की समक्ष
चंडीगढ़ बेंच, चंडीगढ़
सीए (सीएए) संख्या 01(चंडीगढ़)/2017
कंपनी अधिनियम, 2013 (18/2013) की धारा 230 से 232 के मामले में
एवं
फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड
एवं
एसआरएल लिमिटेड
एवं
फोर्टिस मलार हॉस्पिटल्स लिमिटेड
की व्यवस्था और समामेलन की संयुक्त योजना के मामले में
एवं
फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड _ डिमर्जड कंपनी
एवं
एसआरएल लिमिटेड _समामेलक कम्पनी
एवं
फोर्टिस मलार हॉस्पिटल्स लिमिटेड _परिचालनी कम्पनी / समामेलित कम्पनी
एवं
सभी सम्भावित अंशधारकों एवं ऋणदाताओं के मामले में
(इसमें कम्पनियों कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत निगमित हैं। डिमर्जड कम्पनी, समामेलक कम्पनी एवं परिचालनकर्ता कम्पनी का संक्षिप्त कार्यालय फोर्टिस हॉस्पिटल, सेक्टर 62, फेज–II, मोहाली, पंजाब – 160062 स्थित है।)
याचिका का विवरण
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 (कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 391–394 के अनुपालनों) के अंतर्गत एक याचिका संयुक्त पीसी (पीएए) संख्या 2 (चंडीगढ़)/2017 (स्थगित) चंडीगढ़ स्थित मेसर्स कम्पनी ला ट्रिब्यूनल के अनुमोदन हेतु डिमर्जड कम्पनी, समामेलक कम्पनी एवं परिचालनी/समामेलित कम्पनी के सम्बन्ध में, फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड, एसआरएल लिमिटेड एवं फोर्टिस मलार हॉस्पिटल्स लिमिटेड की व्यवस्था और समामेलन की संयुक्त योजना के मामले में प्रस्तुत याचिका पर एक सूचक (इसी दिन सम्बद्ध) 12 मई 2017, को जारी किया गया तथा याचिका आयोग्य आदेश मेसर्स कम्पनी ला ट्रिब्यूनल के चंडीगढ़ बेंच के समक्ष 28 जून 2017 को 10:30 बजे से सुनवाई हेतु निर्धारित किया गया है।
कोई भी व्यक्ति जो प्रस्तुत याचिका का समर्थन या विरोध का इच्छुक है, वह अपने आशय की सूचना अपने हस्ताक्षर से या अपने अधिवक्ता द्वारा, अपने नाम व पता सहित डिमर्जड कम्पनी, समामेलक कम्पनी एवं समामेलित कम्पनी के कम्पनी सचिवों के पास भेजी जो कि डिमर्जड कम्पनी, समामेलक कम्पनी एवं परिचालनी/समामेलित कम्पनी के कम्पनी सचिवों के पास दिनांक से सुनवाई की निर्धारित तिथि से 2 दिन पूर्व पहुंच जानी चाहिए। यदि वह व्यक्ति याचिका का विरोध करना चाहता/चाहती है तो वे इसके सूचना के साथ विरोध का आधार एवं समर्थन पत्र की प्रस्तुत करें। याचिका की एक प्रति अंशीदारकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी जो कि निःशुल्क आधारपत्र की निर्धारित शुल्क अदा करने पर निर्धारित की जाएगी।
अधिवक्ता
राहुल रंजन
कम्पनी सचिव, फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड
ई-मेल: [redacted]
वेबसाइट: [redacted]
टेली नं: +91-172-5030001
फैक्स नं: +91-172-5030022
अधिवक्ता
सुनिल खुराना
कम्पनी सचिव, एसआरएल लिमिटेड
ई-मेल: [redacted]
वेबसाइट: [redacted]
टेली नं: +91-172-5030001
फैक्स नं: +91-172-5030022
अधिवक्ता
सुनिल गोयल
कम्पनी सचिव, एसआरएल लिमिटेड
ई-मेल: [redacted]
वेबसाइट: [redacted]
टेली नं: +91-172-5030001
फैक्स नं: +91-172-5030022
एसआरएल, एसआरएल एवं एसआरएल का संक्षिप्त कार्यालय फोर्टिस हॉस्पिटल, सेक्टर 62, फेज–II, मोहाली, पंजाब–160062